राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्वारघाट, तहसील श्री नैणा देवी, ज़िला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 4/2010 से 3/2014

भाग–एक

1 गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

संस्था के गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्रवाई का सत्यापन वर्तमान अंकेक्षण के दौरान करने के पश्चात पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से है। अनिर्णीत पैरों के पूर्ण निपटारे हेतु अपेक्षित कार्रवाई की जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2010

1	पैरा–4	समाप्त
2	पैरा–5	अनिर्णीत

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्वारघाट के छात्र निधि लेखों अवधि 4/2010 से 3/2014 तक का वर्तमान अंकेक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए हैं, श्री चम्बेल सिंह परमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनाँक 4.07.2014 से 17.07.2014 तक संस्थान में किया गया। इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण की विस्तृत जाँच हेतु आय के लिए माह 11/2010, 7/2011, 8/2012 व 7/2013 तथा व्यय के लिए माह 10/2010, 11/2011, 3/2013 व 1/2014 का चयन किया गया। अनुवर्ती पैरों में वर्णित अभिलेख के अतिरिक्त समस्त अपेक्षित अभिलेख आवश्यक जाँच हेतु अंकेक्षण को प्रस्तुत किया गया।

यह अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा प्रस्तुत की गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। संस्था द्वारा प्रदत्त किसी भी गलत सूचना प्रस्तुत करने, किसी सूचना के प्रस्तुत न करने अथवा अपूर्ण सूचना प्रस्तुत करने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं है। विभाग का उत्तरदायित्व केवल अंकेक्षण की विस्तृत ज़ाँच हेतु चयनित मासों तक ही सीमित है।

अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित आहरण एवं संवितरण अधिकारी संस्थान कार्यरत्त रहेः–

क्र0सं0	अधिकारी का नाम/पद	अवधि
1	श्री कुलदीप कुमार चडड्ा, प्रधानाचार्य आई0टी0आई0 बिलासपुर अतिरिक्त कार्यभार	1.4.2010 से 9.12.2011
2	श्री श्यामा नन्द, इन्स्ट्रक्टर	9.12.2011 से 31.3.2014

3 अंकेक्षण शुल्कः–

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्वारघाट, ज़िला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के छात्र निधि लेखों अवधि 4/2010 से 3/2014 तक की लेखा परीक्षा हेतु अंकेक्षण शुल्क का आँकलन ₹5400/– किया गया तथा अनुभाग अधिकारी की अंकेक्षण अधियाचना सँख्या 101 दिनाँक 16.7.2014 द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि रेखाँकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 को भेजने हेतु प्रधानाचार्य से अनुरोध किया गया।

4 (क) वित्तीय स्थितिः–

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्वारघाट के छात्र निधि लेखाओं की अवधि 4/2010 से 3/2014 तक की वित्तीय स्थिति का विवरण संलग्न **परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है।

(ख) राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्वारघाट में छात्रों से प्राप्त छात्र विकास निधि, अनुपस्थिति जुर्माना निधि व कम्पयुटर निधि को एक ही रोकड़ बही एवं बैंक खाते में जमा किया जा रहा है। अतः भविष्य में सुगमता के दृष्टिगत सभी निधियों से सम्बन्धित अलग–2 बैंक खातों एवं रोकड़ बहियों का संचालन किया जाए।

5 निवेशः–

लेखा परीक्षा अवधि 1.4.2010 से 31.3.2014 के दौरान छात्र निधियों से कोई भी राशि सावधि जमा में निवेश नहीं की गई थी जबकि वित्तीय स्थिति के अनुसार वर्ष 2010–11 से वर्ष 2013–14 के दौरान निम्न विवरणानुसार राशियाँ निधियों से सम्बन्धित विभिन्न बचत खातों में जमा थीः–

दिनाँक	सभी निधियों की कुल जमा राशि (₹)
1.4.2010	122456
1.4.2011	194695
1.4.2012	298721
1.4.2013	363056
31.3.2014	474321

6 <u>उचित वित्तीय प्रबन्धन न किये जाने पर अतिरिक्त ब्याज की आय से वंचित होनाः–</u>

वित्तीय स्थिति के अनुसार पूर्व अनुच्छेद में वर्णित विवरणानुसार राशियाँ बिना उपयोग के ही बैंक बचत खातों में पड़ी हुई पाई गई तथा इन राशियों में से एक समुचित भाग जिसकी संस्थान को तुरन्त आवश्यकता न हो identity करके सुगमता से सावधि जमा में निवेश किया जा सकता था जिससे निश्चित तौर पर संस्था को ब्याज के रूप में अधिक आय प्राप्त हो सकती थी क्योंकि सावधि जमा पर बैंक बचत खाते से अधिक ब्याज बैंक द्वारा प्रदान किया जाता है। किन्तु संस्था द्वारा इस दृष्टिकोण से परिहार करते हुए उपलब्ध समस्त राशियाँ बैंक बचत खातों में ही जमा रखी गई जोकि संस्था में वित्तीय प्रबन्धन की कमी को परिलक्षित करता है। अतः संस्था के छात्र निधि निधि लेखों में पड़ी अनुपयुक्त राशियों (जिनकी निकट भविष्य में आवश्यकता नहीं है) को सावधिक लेखों में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि संस्थान की सुदृढ़ आर्थिक स्थिति सुनिश्चित हो सके।

7 <u>औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बिलासपुर से प्राप्त ऋण ₹185000/– का भुगतान न करनाः–</u>

संस्था द्वारा अंकेक्षण अवधि में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बिलासपुर से निम्नविवरणानुसार ₹185000/–का ऋण प्राप्त किया गयाः–

क्र0सं0	चैक संख्या	दिनाँक	राशि (₹)
1	787186	17.6.2013	35000
2	787187	17.6.2013	150000
		कुल राशि=	**₹185000**

उपरोक्त राशि प्राप्त करने के उपरान्त छात्र विकास निधि में जमा की गई तथा लेखा परीक्षा के दौरान बताया गया कि ऋण यह राशि निदेशक तकनीकी शिक्षा हिमाचल प्रदेश से स्वीकृती प्राप्त करके प्राप्त की गई है। किन्तु अपेक्षित स्वीकृती पत्र लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया तथा राशि लेखा परीक्षा समाप्ति तक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बिलासपुर को वापिस नहीं की गई। अतः इस राशि को शीध्र औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बिलासपुर को लौटाया जाना तथा निदेशक तकनीकी शिक्षा द्वारा जारी उपरोक्त स्वीकृती की प्रति आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापनार्थ प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए।

8 भुगतान के समर्थन में ₹26625/– के वाऊचर प्रस्तुत न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बहियों के अवलोकन पर पाया कि निम्न विवरणानुसार रोकड़ बहियों में भुगतान दर्शाया गया किन्तु भुगतान के समर्थन में लेखा परीक्षा के दौरान वाऊचर आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके अभाव में दर्शाए गए भुगतान की जाँच नहीं की जा सकी। अतः भुगतान के सत्यापन हेतु वाऊचर आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किये जाये अन्यथा दर्शाए गए भुगतान की उचित स्त्रोत से वसूली करके राशि सम्बन्धित निधियों में जमा करके अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाएः–

क्र0सं0	निधि का विवरण	भुगतान की	भुगतान का विवरण	राशि (₹)
1	विकास निधि	1.9.2010	निदेशक तकनीकी शिक्षा सुन्दरनगर को भुगतान	1000
2	छात्र कल्याण निधि	26.11.2011	खेलकूद प्रतियोगिता के लिए श्रीमती रशमी बाला इन्स्ट्रक्टर को भुगतान	12710
3	छात्र कल्याण निधि	26.11.2011	खेलकूद प्रतियोगिता के लिए श्री विनोद कुमार इन्स्ट्रक्टर को भुगतान	12915
			कुल राशि =	**₹26625**

9 ₹5850/– की कम वसूलीः–

लेखा परीक्षा के दौरान अभिलेखों की ज़ाँच करने पर पाया गया कि विद्यार्थियो से निधियों की वसूली करते समय कुछ विद्यार्थियों से पहचान पत्र निधि व बीमा निधि की राशियाँ प्राप्त नहीं की गई जिसके फलस्वरूप निम्नविवरणानुसार ₹5850/– की कम वसूली की

गई। कम वसूल की गई राशि की उचित स्त्रोत से यथाशीध्र वसूली करके राशियों को सम्बन्धित निधियों में जमा किया जाए व अनुपालना से स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाएः–

क्र0सं0	निधि प्राप्ति की तिथि	छात्रों की संख्या	निधियों का विवरण जो प्राप्त नहीं की गई		प्राप्ति योग्य राशि (₹)
			पहचान पत्र निधि (₹)	बीमा निधि (₹)	
1	21.9.2010	4	50 प्रति छात्र वार्षिक	100 प्रति छात्र वार्षिक	(150X4) 600
2	3.11.2010	9	50 प्रति छात्र वार्षिक	100 प्रति छात्र वार्षिक	(150X9) 1350
3	8.11.2010	5	50 प्रति छात्र वार्षिक	100 प्रति छात्र वार्षिक	(150X5) 750
4	17.8.2012	20	50 प्रति छात्र वार्षिक	100 प्रति छात्र वार्षिक	(150X20) 3000
5	21.8.2012	1	50 प्रति छात्र वार्षिक	100 प्रति छात्र वार्षिक	(150X1) 150
			कुल प्राप्ति योग्य राशि		**₹5850**

10 ₹2550/– का सम्भावित दुर्विनियोजनः–

निधि संग्रहण रजिस्टर व रोकड़ बहियों के मिलान पर पाया गया कि N.T./P.N.T (प्रमाण पत्र निधि) की प्राप्ति के सम्बन्ध में निम्न प्रकरणों में न तो रोकड़ बही में प्रविष्टियाँ की गई और न ही यह राशियाँ सम्बन्धित बैंक खाते में जमा की गई जिसके फलस्वरूप निम्न विवरणानुसार ₹2550/– की राशि सम्बन्धित निधि खाते में जमा नहीं हुई है तथा इस राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः उपरोक्त ₹2550/– की चूककर्ता से वसूली करके राशि सम्बन्धित निधि में यथाशीध्र जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीध्र अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य में

प्रभावशाली आन्तरिक ज़ाँच सुनिश्चित करते हुए ऐसे प्रकरणों की पुनरावृति घटित न हो पाना सुनिश्चित किया जाएः–

क्र0सं0	विद्यार्थी का नाम	रसीद संख्या	दिनाँक	एन0टी0सी0 / पी0एम0टी0सी0 निधि की प्राप्त राशि जिसे जमा नहीं किया गया (₹)
1	निशा देवी	69	16.8.2010	60
2	अनु शर्मा	70	16.8.2010	60
3	करूणा कुमारी	71	16.8.2010	60
4	सारिका	72	16.8.2010	60
5	पूजा	73	16.8.2010	60
6	राज कुमार	74	16.8.2010	60
7	निशा	75	25.8.2010	60
8	अन्जना	76	31.8.2010	60
9	बलजीत	77	31.8.2010	60
10	मीना	80	21.9.2010	60
11	वन्दना	81	21.9.2010	60
12	वन्दना	82	21.9.2010	60
13	विजय कुमार	83	21.9.2010	60
14	विकास चन्देल	85	3.11.2010	60
15	निशान्त	86	3.11.2010	60
16	कुशल कुमार	87	3.11.2010	60
17	इन्द्र पाल	88	3.11.2010	60
18	पंकज	89	3.11.2010	60
19	प्रदीप	90	3.11.2010	60
20	सुखदेव	91	3.11.2010	60
21	अमित	92	3.11.2010	60
22	अजय	93	3.11.2010	60
23	पंकज	94	8.11.2010	60
24	अरविन्द	95	8.11.2010	60
25	शम्मी कपूर	96	8.11.2010	60

26	राजेन्द्र	97	8.11.2010	60
27	अजय राणा	98	8.11.2010	60
28	दीपक	99	10.11.2010	60
29	ट्रेनिंग सहायक	507	3.3.2011	810
30	प्रवीण देवी	164	8.8.2013	60
			कुल राशि	**₹2550**

11 विद्यार्थियों का बीमा न करवानाः–

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रशिक्षुओं से वर्ष 2010–11 से वर्ष 2013–14 के दौरान बीमा निधि प्राप्त की गई थी किन्तु प्रशिक्षुओं का बीमा नहीं करवाया गया। बीमा निधि प्राप्त करके प्रशिक्षुओं का बीमा न करवाना गम्भीर अनियमितता है। इससे एक तो बीमा निधि प्राप्त करने का उद्देश्य ही निष्फल हो गया दूसरे यदि किसी प्रशिक्षु की कोई दुर्धटना हो जाती तो उसे बीमा राशि का लाभ भी नहीं मिल पाता। अतः निधि राशि प्राप्त करने पर भी प्रशिक्षुओं का बीमा न करवाए जाने के कारणों से अंकेक्षण को अवगत करवाने के अतिरिक्त भविष्य में नियमानुसार नियमित रूप से प्रशिक्षुओं का बीमा करवाया जाना भी सुनिश्चित किया जाए ताकि निधि प्राप्ती के उद्देश्य को Justify सम्भव हो सकने के अतिरिक्त किसी प्रशिक्षु की दुर्घटना होने की अवस्था में उसे मिलने वाले बीमा लाभ से वंचित न हो पाना भी सुनिश्चित हो सके।

12 सरकारी खजाने में जमा राशियों का सरकारी कोष कार्यालय के साथ मिलान न करनाः–

संस्थान द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान चालानों के माध्यम से सरकारी कोष में जमा राशियों का सरकारी कोष कार्यालय के साथ मिलान नहीं किया गया जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि विभिन्न चालानों के माध्यम से सरकारी खजाने में जमा करवाई गई राशियाँ वास्तव में सरकारी कोष में जमा हो रही है अथवा नहीं। अतः अंकेक्षण अवधि 1.4.2010 से 31.3.2014 के दौरान चालानों द्वारा सरकारी कोष में जमा करवाई गई राशियों का सरकारी कोष कार्यालय के साथ मिलान किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाने के अतिरिक्त भविष्य में अपेक्षित मिलान समय–समय पर नियमित रूप से किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

13 रोकड़ बही का रख–रखाव उचित प्रकार से न करनाः–

अंकेक्षण अवधि में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्वारघाट की रोकड़ बही उचित प्रकार से नहीं लिखी गई थी क्योंकि रोकड़ बही में प्राप्त राशियों को बैंक में जमा करने पर भुगतान दर्शाया जा रहा था तथा भुगतान करते समय चैक की पहले रोकड़ बही में प्राप्ति व फिर भुगतान दर्शाया जा रहा था जिससे रोकड़ बही का शेष शून्य दर्शाया जा रहा था। इस प्रकार रोकड़ बही कुल जमा राशि को नहीं दर्शा रही थी। अतः रोकड़ बही का रख रखाव इस तरह से सुनिश्चित किया जाए कि रोकड़ बही में लेन देन से सम्बन्धित प्रत्येक संचालनों (transactions) की प्रविष्टियों के साथ–साथ रोकड़ बही कुल जमा राशि को दर्शाए तथा नियमानुसार प्रतिमाह के अन्त में रोकड़ बही के शेष को आहरण एवं संवितरण अधिकारी से सत्यापित भी करवाया जाए।

14 <u>लघु आपत्ति विवरणिकाः–</u>

सभी लघु आपत्तियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान करने के कारण लघु आपत्ति विवरणिका अलग से ज़ारी नहीं की गई।

15 <u>निष्कर्षः–</u> लेखाओं के रख रखाव में उचित सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन (एल0ए0)एच(2)सी(15)(11) (12) 112/07 खण्ड–1–5183–5186
दिनांक, 28.8.14 शिमला–09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत
1 प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्वारघाट, जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि0प्र0 शिमला–9 को अतिशीध्र भेजे।
2 प्रधान सचिव (तकनीकी शिक्षा) हि0प्र0 सरकार
3 निदेशक, तकनीकी शिक्षा हि0प्र0, सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित है कि वह कृपया सम्बन्धित संस्था को इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 9 तथा 10 के सन्दर्भ में यथोचित कार्यवाही यथाशीध्र करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाने के निर्देश दें।
4 श्री चम्बेल सिंह, अनुभाग अधिकारी द्वारा.....

हस्ता/–
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.